# v/;k; I

## ifjn'

राज्य सरकार के मासिक लेखे जिला कोषागारों, लोक निर्माण और वन प्रखंडों आदि द्वारा महालेखाकार लेखा एवं हकादारी को प्रेषित लेखों से समेकित और संकलित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के निर्देशन में नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवाशर्तें) अधिनियम 1971 के अधीन महालेखाकार वित्त लेखे और विनियोग लेखे प्रतिवर्ष तैयार करते हैं।

सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं।

भाग I समेकित निधि
भाग II आकस्मिकता निधि
भाग III लोक लेखा

समेकित निधि में दो मुख्य प्रभाग होते हैं।

राजस्व प्रभाग (राजस्व लेखा) करों के आगम और राजस्व के रुप में वर्गीकृत अन्य प्राप्तियों तथा उसमें से किये गये व्ययों से संबंध रखता है, जिसका निवल परिणाम संबंधित वर्ष के राजस्व आधिक्य अथवा कमी को दर्शाता है।

पूंजी प्रभाग में खंड 'प्राप्ति शीर्ष (पूंजी लेखा)' पूंजी के स्वरुप की ऐसी प्राप्तियों से संबंध रखता है जिनका पूंजीगत व्यय से प्रति संतुलन नहीं किया जा सकता है। खंड 'व्यय शीर्ष (पूंजी लेखा)' उस व्यय से संबंध रखता है जो साधारणतः उधार ली गई निधियों से किया जाता है और जिनका उद्देश्य भौतिक और स्थाई प्रकार की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाना है। इसमें पूंजी के स्वरुप की वे प्राप्तियां भी शामिल होती हैं जिनका उद्देश्य पूंजीगत व्यय को घटाना है। खंड 'लोक ऋण, कर्जे और पेशगियां आदि' में सरकार द्वारा लिये गये कर्ज तथा उनका प्रतिभुगतान शामिल किया जाता है अर्थात 'आन्तरिक ऋण' और सरकार द्वारा लिये गये 'कर्जे और अग्रिम' (और उनकी वापसी)।

आकस्मिकता निधि में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के अधीन स्थापित आकस्मिकता निधि से लेन देन अभिलिखित किये जाते हैं।

लोक लेखा में, 'ऋण' (भाग I में शामिल किये गये ऋण के अतिरिक्त), 'जमा', 'अग्रिमों', 'प्रेषण' और 'उचन्त' से संबंधित लेन देनों को अभिलिखित किया जाता है।

वर्ष 2009-2010 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के वार्षिक लेखे राज्य विधान मण्डल में दिनांक 04 फरवरी 2011 को किये जा चुके हैं। वर्ष 2009-2010 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को भी अलग से प्रस्तुत किया जायगा।

## foRr y[k

वित्त लेखे वर्ष के लिये सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखाओं के साथ ही राजस्व और पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों तथा लेखाओं में दर्ज शेषों से परिकलित लोक ऋण और देयता तथा परिसंपत्तियों के लेखाओं से प्रदर्शित करते हैं।

वर्ष 2009-2010 के दौरान, 115406.69 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां 96420.95 करोड़ रुपये (कर राजस्व 65674.27 करोड़ रुपये, करेतर राजस्व 13601.09 करोड़ रुपये और सहायता अनुदान तथा अंशदान 17145.59 करोड़ रुपये), और पूंजीगत प्राप्तियां 18985.74 करोड़ रुपये (कर्ज तथा उधार की वसूली 293.08 करोड़ रुपये और उधार एवं अन्य दायित्वों से निवल प्राप्ति के द्वारा 18692.66 करोड़ रुपये) शामिल है ।

वर्ष के दौरान संवितरण 115406.69 करोड़ रुपये था जो राजस्व लेखा पर 89373.61 करोड़ रुपये (77.44 प्रतिशत) और पूंजीगत लेखा पर 26033.08 करोड़ रुपये (22.56 प्रतिशत) रहा, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा 941.85 करोड़ रुपये का कर्ज तथा उधार के अन्तर्गत किया गया संवितरण भी सम्मिलित है।

## fofu;kx y[k

विनियोग लेखे राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित दत्तमत और प्रभारित धनराशियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय को प्रस्तुत करते हैं। इसमें 48 प्रभारित विनियोग तथा 90 दत्तमत अनुदानों के लेखे सम्मिलित हैं।

वर्ष के दौरान राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों, 2009 एवं 2010 में 10692.09 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदानों को सम्मिलित करते हुए 155307.25 करोड़ रुपये के सकल व्यय की व्यवस्था की गई। व्यय की कमी में वसूलियों के लिए 10118.18 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था थी।

विनियोग लेखे 2009-2010 कुल आय–व्ययक प्रावधान 155307.25 करोड़ रुपये के विरुद्ध 133795.83 करोड़ रुपये के कुल संवितरण को प्रदर्शित करते हैं, परिणामतः अनुदानों एवं विनियोगों के विरुद्ध 21511.42 करोड़ रुपये की बचत हुई। इसमें से, 10063.54 करोड़ रुपये (47 प्रतिशत), वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) द्वारा नियंत्रित अनुदान के अन्तर्गत थी।

व्यय में कमी के रुप में 10720.55 करोड़ रुपये की वसूलियां आय–व्ययक अनुमानों की तुलना में 297.63 करोड़ रुपये की कमी को प्रतिबिम्बित करती हैं।

# v/;k;-II

## y[kk dk e[; vka'k

(करोड़ रुपयों में)

| Øe la0 | en | ctV vuqeku 2009-2010 | okLrfod vkdMs 2009-2010 | ctV vuqeku ls okLrfod vkdMksa dk izfr'kr | ldy jkT; ?kjsyw mRikn* ls okLrfod vkdMksa dk izfr'kr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | dj jktLo | 73114.20 | 65674.27 | 89.82 | 13.37 |
| 2. | djsrj jktLo | 5626.92 | 13601.09 | 241.71 | 2.77 |
| 3. | Lgk;rk vuqnku ,oa va'knku | 15698.72 | 17145.59 | 109.22 | 3.49 |
| 4. | jktLo izkfIr;ka (1+2+3) | 94439.84 | 96420.95 | 102.10 | 19.63 |
| 5. | dtksZ rFkk m/kkj dh olwyh | 603.77 | 293.08 | 48.54 | 0.06 |
| 6. | vU; izkfIr;ka | - | - | - | - |
| 7. | m/kkj ,oa vU; nkf;Ro | 23298.69 | 18692.66# | 80.23 | 3.80 |
| 8. | iwathxr izkfIr;ka (5+6+7) | 23902.46 | 18985.74 | 79.43 | 3.86 |
| 9. | dqy izkfIr;ka (4+8) | 118342.30 | 115406.69 | 97.52 | 23.49 |
| 10 | vk;kstusRrj O;; | 78091.72 | 80272.00(क) | 102.79 | 16.34 |
| 11. | vk;kstusRrj jktLo O;; | 75482.86 | 73672.43 | 97.60 | 15.00 |
| 12. | O;kt dk Hkqxrku ij vk;kstusRrj O;; | 11742.25 | 11988.46 | 102.10 | 2.44 |
| 13. | vk;kstusRrj iwathxr O;; | 2608.86 | 6599.57(क) | 252.97 | 1.34 |
| 14. | vk;kstukxr O;; | 40250.58 | 35134.69(ख) | 87.29 | 7.15 |
| 15. | vk;kstukxr jktLo O;; | 17383.79 | 15701.18 | 90.32 | 3.20 |
| 16. | vk;kstukxr iwathxr O;; | 22866.79 | 19433.51(ख) | 84.99 | 3.96 |
| 17. | dqy O;; (10+14) | 118342.30 | 115406.69 | 97.52 | 23.49 |
| 18. | jktLo O;; (11+15) | 92866.65 | 89373.61 | 96.24 | 18.19 |
| 19. | iwathxr O;; (13+16) | 25475.65 | 26033.08($) | 102.19 | 5.30 |
| 20. | jktLo vkf/kD; (+)/?kkVk(–) (4–18) | (+)1573.19 | (+)7047.34 | 447.96 | 1.43 |
| 21. | jktdks'kh; vkf/kD; (+)/ ?kkVk (–) (4+5+6–17) | (-)23298.69 | (-)18692.66 | 80.23 | (-)3.80 |

(*) सकल राज्य घरेलू उत्पाद = 491301.56 करोड़ रुपये (अग्रिम) (स्रोत : अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

(#) ड•–लोक ऋण का निवल+भाग-II आकस्मिकता निधि का निवल+भाग-III लोक लेखा का निवल+ढ–रोकड़ शेष का निवल ।

(क) राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा उधार का आयोजनेत्तर संवितरण 732.82 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा उधार का आयोजनागत संवितरण 209.03 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

($) इस प्रकार इसमें राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा उधार का संवितरण 941.85 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

## ikfIr;k ,o lforj.k

वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां एवं संवितरण 115406.69 करोड़ रुपये रहा जो कि बजट प्रावधान (118342.30 करोड़ रुपये) का 97.52 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा प्रक्षेपित आंकड़े 23298.69 करोड़ रुपये के विपरीत 18692.66 करोड़ रुपये रहा।

निम्न सारिणी में 2009-2010 के लेखे का सारांश दर्शाया गया है।

(करोड़ रुपयों में)

| d|y ikfIr;k | 115406-69 | d|y 0;; | 115406-69($) |
|---|---|---|---|
| राजस्व प्राप्तियां | 96420.95 (83.55 प्रतिशत ) | राजस्व व्यय | 89373.61 (77.44 प्रतिशत ) |
| पूंजीगत प्राप्तियां | 18985.74 (16.45 प्रतिशत ) (#) | पूंजीगत व्यय | 26033.08 (22.56 प्रतिशत )($) |

(#) राज्य सरकार के कर्ज तथा उधार की वसूली तथा उधार एवं अन्य दायित्वों से निवल प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
($) राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा उधार के अन्तर्गत संवितरण 941.85 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

## ikfIr;k

## jktLo ikfIr;k

सकल कर राजस्व 65674.27 करोड़ रुपये और करेतर राजस्व 13601.09 करोड़ रुपये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 13.37 प्रतिशत और 2.77 प्रतिशत था। राजस्व में मुख्य अंशदान केन्द्रीय करों में राज्य का निवल हिस्सा 31796.67 करोड़ रुपये (6.47 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर 20825.18 करोड़ रुपये (4.24 प्रतिशत) तथा केन्द्रीय सरकार से अनुदान 17141.24 करोड़ रुपये (3.49 प्रतिशत) का रहा। (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात कोष्ठक में दिया है)।

वर्ष के दौरान निवल कर प्राप्तियां आय–व्ययक अनुमान से 7439.93 करोड़ रुपये कम हुई, जो मुख्यतः सीमा शुल्क, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल तथा यात्री कर, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क तथा सेवाकर के कम संग्रह के कारण हुई। वाहन कर तथा भू–राजस्व में अधिक संग्रह के कारण उपर्युक्त कमी अंशतः प्रति संतुलित हुई।

कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश, करेतर राजस्व और सहायता अनुदान तथा अंशदान नीचे दिया गया है।

### jktLo ikfIr;k ,o lgk;rk vunku vkj va knku

(करोड़ रुपयों में)

| ?kVd | 0kkLrfod ikfIr;k | d|y jktLo ikfIr;k ls ifr krrk |
|---|---|---|
| **d & dj jktLo** | **65674.27** | **68.11** |
| आय एवं व्यय पर कर * | 20395.89 | 21.15 |
| संपत्ति, पूंजीगत तथा अन्य संव्यवहारों पर कर | 5254.98 | 5.45 |
| वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर | 40023.40 | 41.51 |
| **[k & djrj jktLo** | **13601.09** | **14.11** |
| राजकोषीय सेवायें | 0.01 | 0.00 |
| ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ | 630.84 | 0.65 |
| सामान्य सेवायें | 8482.11 | 8.80 |
| सामाजिक सेवायें | 2621.75 | 2.72 |

| | | |
|---|---|---|
| आर्थिक सेवायें | 1866.38 | 1.94 |
| x & lgk;rk vunku ,o vi knku | **17145.59** | **17.78** |
| ;kx jktLo ikfIr;k | **96420.95** | **100.00** |

(* संघ सरकार से प्राप्त आयकर का अंश)

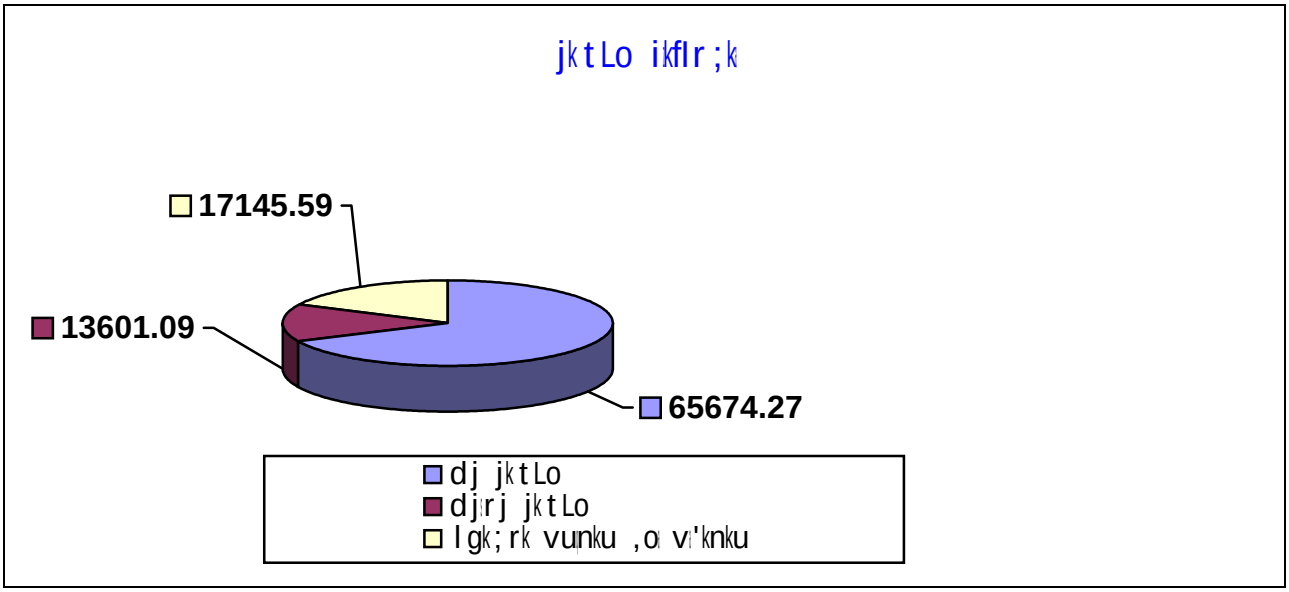




## ithxr ikfIr;k

पुनरीक्षित अनुमानों 24527.51 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 23902.46 करोड़ रुपये) की तुलना में, वास्तविक प्राप्तियों 18985.74 करोड़ रुपये के परिणामतः पूंजीगत प्राप्तियों में 5541.77 करोड़ रुपये की समग्र कमी हुई। यह मुख्य रुप से उधार एवं अन्य दायित्व के अन्तर्गत हुई।

## lforj.k

## jktLo lforj.k

राजस्व संवितरण (निवल) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 18.19 प्रतिशत थे। ये आय–व्ययक अनुमान से 3493.04 करोड़ रुपये कम रहे जो आयोजनेतर के अन्तर्गत (1810.43 करोड़ रुपये) तथा आयोजनागत के अन्तर्गत (1682.61 करोड़ रुपये) कम संवितरण के कारण थे।

## ithxr lforj.k

पूंजीगत संवितरण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 5.30 प्रतिशत थे। ये आय–व्ययक अनुमान से 557.43 करोड़ रुपये अधिक थे जो आयोजनागत के अंतर्गत (3433.28 करोड़ रुपये) कम तथा आयोजनेतर के अन्तर्गत (3990.71 करोड़ रुपये) अधिक संवितरण के कारण हुये।

## vk;ktukxr lforj.k

2009-2010 के दौरान आयोजनागत संवितरण 35134.69 करोड़ रुपये थे, जिसमें राजस्व के अन्तर्गत 15701.18 करोड़ रुपये और पूंजीगत के अन्तर्गत 19433.51 करोड़ रुपये शामिल थे।

## vk;kturj lforj.k

2009-2010 के दौरान आयोजनेतर संवितरण 80272.00 करोड़ रुपये थे, जिसमें राजस्व के अन्तर्गत 73672.43 करोड़ रुपये और पूंजीगत के अन्तर्गत 6599.57 करोड़ रुपये शामिल थे।

व्यय का क्षेत्र वार वितरण और कुल राजस्व व्यय से इसकी प्रतिशतता नीचे दी गई है।

### 0;; dk {k=&okj forj.k vkj dy jktLo 0;; ls bldh ifr krrk

(करोड़ रुपयों में)

| ?kVd | /kujkf'k | dy jktLo 0;; ls ifr krrk |
|---|---|---|
| d & jktdk'kh; lok; | **2389.65** | **2.67** |
| (i) आय एवं व्यय पर करों का संग्रहण | | |
| (ii) संपत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण | 1222.11 | 1.37 |
| (iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों का संग्रहण | 1155.49 | 1.29 |
| (iv) अन्य राजकोषीय सेवायें | 12.05 | 0.01 |
| [k & jkT; d vx | **975.14** | **1.09** |
| x & C;kt dh vnk;xh rFkk _.k lok | **16855.09** | **18.86** |
| ?k & i kklfud lok; | **9314.58** | **10.42** |
| M & i ku ,o fofo/k lkekU; lok; | **11106.85** | **12.43** |
| Pk & lkekftd lok; | **32064.28** | **35.88** |
| N & vkfFkd lok; | **13308.00** | **14.89** |
| Tk & lgk;rk vunku ,o v knku | **3360.02** | **3.76** |
| dy 0;; (jktLo y[kk) | **89373.61** | **100.00** |

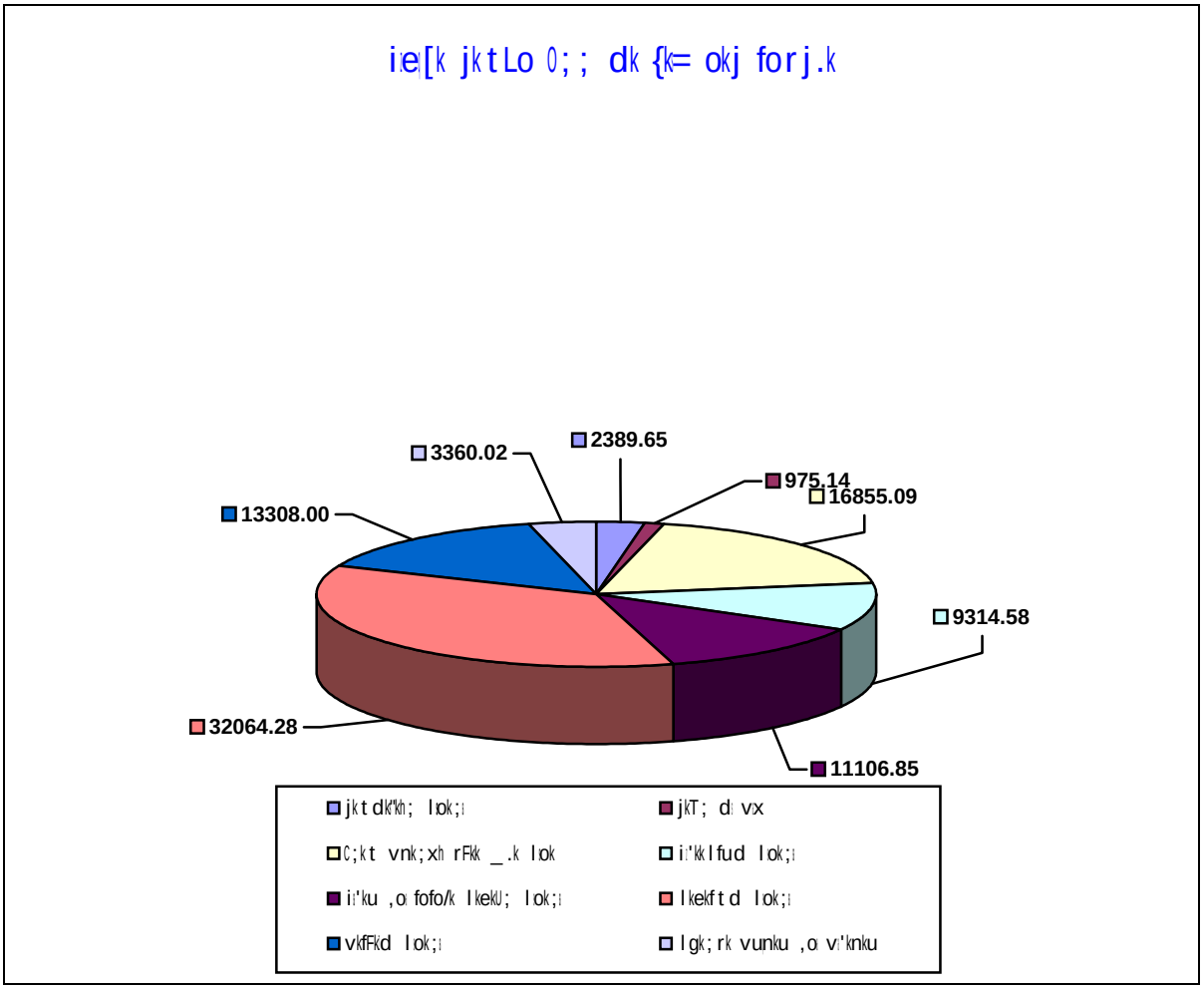

## O;; dh izofRr

2005-2006 से 2009-2010 (5वर्ष) के मध्य कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राजस्व व्यय की प्रवृत्ति नीचे दी गई है।

## pqus gq, {ks=ksa ds vUrxZr O;; dk fooj.k

(करोड़ रुपयों में)

| {k= | 2005-2006 | c0v0@i| 0v0 l: ifr kr | 2006-2007 | c0v0@i| 0v0 l: ifr kr | 2007-2008 | c0v0@i| 0v0 l: ifr kr | 2008-2009 | c0v0@i| 0v0 l: ifr kr | 2009-2010 | c0v0@i| 0 v0 l: ifr kr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d – सामाजिक सेवायें | 15609.70 | 103/93 | 19248.06 | 100/96 | 23085.56 | 91/91 | 28546.01 | 104/90 | 32064.29 | 95/90 |
| i) शिक्षा | 8789.90 | 102/96 | 10704.44 | 101/99 | 11675.68 | 96/97 | 12944.34 | 103/92 | 16181.68 | 92/91 |
| ii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 2595.61 | 106/90 | 2820.16 | 89/88 | 3101.72 | 89/90 | 3703.05 | 91/84 | 4779.46 | 91/88 |
| [k & vkfFkd lsok;a | 7755.84 | 114/92 | 9409.27 | 102/96 | 12037.40 | 97/96 | 14149.35 | 99/90 | 13308.00 | 92/90 |
| i) कृषि | 1480.40 | 107/105 | 1848.72 | 113/107 | 2522.07 | 97/97 | 2917.39 | 75/75 | 2860.23 | 80/77 |
| ii) ग्राम विकास | 2259.42 | 126/89 | 1974.24 | 85/85 | 2936.27 | 97/97 | 4507.79 | 130/104 | 3590.90 | 95/95 |
| iii) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 1390.73 | 85/82 | 1919.72 | 90/91 | 2410.95 | 96/89 | 2713.15 | 91/91 | 2822.62 | 90/90 |
| iv) ऊर्जा | 1401.05 | 116/96 | 1869.80 | 170/115 | 1914.11 | 118/118 | 1650.83 | 102/102 | 1896.45 | 100/99 |
| v) परिवहन | 764.53 | 170/93 | 1335.07 | 91/91 | 1403.62 | 94/94 | 1439.37 | 91/91 | 1520.24 | 109/109 |
| vi) सामान्य आर्थिक सेवायें | 111.87 | 102/95 | 123.12 | 102/101 | 123.39 | 84/85 | 140.72 | 93/91 | 168.26 | 86/85 |

## _.k ,oa n;rk,a

2009–2010 के अंत तक आंतरिक ऋण 113076.97 करोड़ रुपये एवं केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम 19446.83 करोड़ रुपये मिलाकर लोक ऋण 132523.80 करोड़ रुपये शेष था। लोक लेखे के अन्तर्गत लेखांकित अन्य देयताएं 29229.01 करोड़ रुपये थीं (इसमें शामिल 872.82 करोड़ रुपये का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के मध्य विभाजन होना बाकी है)।

राज्य सरकार अल्प बचत संग्रहण, भविष्य निधि और जमा की तरह के जमा राशियों के संदर्भ में एक बैंकर तथा न्यासी की तरह भी कार्य करती है। 2009–2010 के दौरान राज्य सरकार के इस प्रकार की देयताओं के संदर्भ में 3870.11 करोड़ रुपये की समग्र वृद्धि हुई। ऋण एवं अन्य देयताओं पर ब्याज का भुगतान 11988.46 करोड़ रुपये था जो राजस्व व्यय 89373.61 करोड़ रुपये का 13.41 प्रतिशत था। लोक ऋण पर 9954.35 करोड़ रुपये (आन्तरिक ऋण पर 8443.86 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम पर 1510.49 करोड़ रुपये) और अन्य देयताओं पर 2034.11 करोड़ रुपये ब्याज अदायगियॉ थी। वर्ष 2009-2010 के दौरान ब्याज के भुगतानों पर किये गये व्यय में 613.40 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

2009-2010 के दौरान लिया गया 22206.41 करोड़ रुपये का आंतरिक ऋण मुख्यतः (i) ऋण दायित्वों के निस्तारण और (ii) ब्याज के भुगतानों पर प्रयुक्त हुआ।

## fuos k rFkk mldk ifrQy

2009-2010 की समाप्ति पर गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूंजी के रुप में कुल निवेशित राशि 34275.02 करोड़ रुपये थी। निवेशों पर, वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश 27.18 करोड़ रुपये (0.08 %) था। 2009-2010 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश में 5319.76 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि तत्संबंधित लाभांश आय में 22.36 करोड़ रुपये की कमी हुई।

## jkT; ljdkj }kjk fn;s x;s dtZ rFkk m/kkj

2009-2010 की समाप्ति पर राज्य सरकार के द्वारा दिये गये कुल कर्ज तथा उधार 9662.53 करोड़ रुपये (इसमें 8.11.2000 को शेष 17593.10 करोड़ रुपये, जिसका उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के मध्य विभाजन होना है, सम्मिलित है) थे। 31 मार्च, 2010 के अंत तक मूल राशि 693.49 करोड़ रुपये और उधार पर ब्याज की राशि 52.77 करोड़ रुपये की वसूली बकाया थी। इन राशियों में 8-11-2000 को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के मध्य अविभाजित शेष भी सम्मिलित है।

## LFkkuh; fudk;ksa vkSj vU; dks foRrh; lgk;rk

वर्ष 2009-2010 के दौरान स्थानीय निकायों इत्यादि को 25053.52 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। यह 2005-2006 के 10181.14 करोड़ रुपये से बढ़कर 2009-2010 में 25053.52 करोड़ रुपये (146.08 प्रतिशत) हो गई। 2009-2010 के दौरान अराजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं आदि ने कुल सहायता का अधिकांश भाग (75.92 प्रतिशत) प्राप्त किया।

## vi.kZ iwathxr dk;ksZa dh opu c)rk

विभिन्न परियोजनाएं जो कि अपूर्ण रहीं, पर राज्य के इंजीनियरी विभागों द्वारा 2009-2010 के दौरान कुल 6655.74 करोड़ रुपये व्यय किये गये ।

## fofu;ksx ys[kk

वर्ष 2009-2010 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करते हैं।

विनियोग लेखे दर्शाते हैं कि वर्ष 2009-2010 में राजस्व व्यय 89472.97 करोड़ रुपये, पूंजीगत व्यय 35712.42 करोड़ रुपये, ऋणों के पुनर्भुगतान 7668.59 करोड़ रुपये, तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जों तथा अग्रिमों 941. 85 करोड़ रुपये को सम्मिलित करते हुए वास्तविक व्यय 133795.83 करोड़ रुपये था। राज्य विधान मण्डल द्वारा आबंटित कुल अनुदानों के संदर्भ में राजस्व/पूंजीगत/लोक ऋण/कर्ज तथा उधार के अन्तर्गत बचत थी।

(करोड़ रुपयों में)

| Øe la0 | 0;; dh izd`fr | ewy vuqnku | vuqiwjd vuqnku | iqufoZfu;ksx | ;ksx | okLrfod 0;; | cpr(-) 0;;kf/kD;(+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jktLo | | | - | | | |
| | मतदेय | 76447.54 | 2901.74 | - | 79349.28 | 72445.56 | -6903.72 |
| | भारित | 16784.65 | 615.72 | - | 17400.37 | 17027.41 | -372.96 |
| 2 | iwathxr | | | | | | |
| | मतदेय | 31807.43 | 6959.33 | - | 38766.76 | 35299.75 | -3467.01 |
| | भारित | 416.09 | 1.58 | - | 417.67 | 412.67 | -5.00 |
| 3 | yksd _.k<br>भारित | 17888.50 | 0.52 | - | 17889.02 | 7668.59 | -10220.43 |
| 4 | dtZ rFkk m/kkj<br>मतदेय | 1270.95 | 213.20 | - | 1484.15 | 941.85 | -542.30 |
| | ;ksx | 144615.16 | 10692.09 | - | 155307.25 | 133795.83 | -21511.42 |

कुछ चयनित अनुदानों/विनियोगों में अनवरत बचत/आधिक्य के विवरण नीचे दिये गये हैं।

## p;fur vunkuk e vuojr cpr@vkf/kD; dk nf kr djr g, 0;; dk i okg

| o'k | vunku l[;k e[; "kh'k | dy vkcVu (djkM #i;k e) | dy vunku l cpr@0;;kf/kD; dh ifr krrk cpr (–) 0;;kf/kD; (+) |
|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 36. चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | 228.20 | -18.38 |
| 2006-2007 | 36. चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | 248.48 | -23.49 |
| 2007-2008 | 36. चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | 232.46 | -22.97 |
| 2008-2009 | 36. चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | 286.21 | -25.89 |
| 2009-2010 | 36. चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | 379.39 | -13.16 |
| 2005-2006 | 45.पर्यावरण विभाग | 162.81 | -91.35 |
| 2006-2007 | 45.पर्यावरण विभाग | 162.95 | -98.20 |
| 2007-2008 | 45.पर्यावरण विभाग | 175.26 | -98.10 |
| 2008-2009 | 45.पर्यावरण विभाग | 169.27 | -98.27 |
| 2009-2010 | 45.पर्यावरण विभाग | 15.60 | -73.33 |
| 2005-2006 | 47. प्राविधिक शिक्षा विभाग | 148.52 | -40.10 |
| 2006-2007 | 47. प्राविधिक शिक्षा विभाग | 119.96 | -11.59 |
| 2007-2008 | 47. प्राविधिक शिक्षा विभाग | 183.01 | -21.49 |
| 2008-2009 | 47. प्राविधिक शिक्षा विभाग | 256.11 | -36.42 |
| 2009-2010 | 47. प्राविधिक शिक्षा विभाग | 548.88 | -23.44 |
| 2005-2006 | 55.लोक निर्माण विभाग (भवन) | 38.67 | +513.08 |
| 2006-2007 | 55.लोक निर्माण विभाग (भवन) | 54.98 | +800.72 |
| 2007-2008 | 55.लोक निर्माण विभाग (भवन) | 87.51 | +768.55 |
| 2008-2009 | 55.लोक निर्माण विभाग (भवन) | 80.35 | +966.71 |
| 2009-2010 | 55.लोक निर्माण विभाग (भवन) | 73.22 | +495.84 |
| 2005-2006 | 67. विधान परिषद् सचिवालय | 13.84 | -11.12 |
| 2006-2007 | 67. विधान परिषद् सचिवालय | 16.56 | -16.02 |
| 2007-2008 | 67. विधान परिषद् सचिवालय | 19.54 | -23.11 |
| 2008-2009 | 67. विधान परिषद् सचिवालय | 19.43 | -15.33 |
| 2009-2010 | 67. विधान परिषद् सचिवालय | 22.60 | -14.91 |
| 2005-2006 | 75. शिक्षा विभाग ( राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ) | 66.15 | -10.65 |
| 2006-2007 | 75. शिक्षा विभाग ( राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ) | 66.61 | -30.62 |
| 2007-2008 | 75. शिक्षा विभाग ( राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ) | 77.47 | -11.93 |
| 2008-2009 | 75. शिक्षा विभाग ( राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ) | 77.78 | -18.63 |
| 2009-2010 | 75. शिक्षा विभाग ( राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ) | 97.47 | -16.08 |
| 2005-2006 | 81.समाज कल्याण विभाग ( जनजाति कल्याण ) | 21.97 | -49.87 |
| 2006-2007 | 81.समाज कल्याण विभाग ( जनजाति कल्याण ) | 32.30 | -44.85 |
| 2007-2008 | 81.समाज कल्याण विभाग ( जनजाति कल्याण ) | 47.67 | -52.53 |
| 2008-2009 | 81.समाज कल्याण विभाग ( जनजाति कल्याण ) | 49.90 | -44.09 |
| 2009-2010 | 81.समाज कल्याण विभाग ( जनजाति कल्याण ) | 50.58 | -38.61 |
| 2005-2006 | 83.समाज कल्याण विभाग (अनु0जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 2203.66 | -26.81 |
| 2006-2007 | 83.समाज कल्याण विभाग (अनु0जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 3657.72 | -13.15 |
| 2007-2008 | 83.समाज कल्याण विभाग (अनु0जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 5329.19 | -11.86 |
| 2008-2009 | 83.समाज कल्याण विभाग (अनु0जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 7700.52 | -11.30 |
| 2009-2010 | 83.समाज कल्याण विभाग (अनु0जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 8538.25 | -11.89 |

| o'k | vunku l[;k<br>e[; “kh’k | dy vkcVu<br>(djkM #i;k e) | dy vunku l<br>cpr@0;;kf/kD;<br>dh ifr krrk<br>cpr (–) 0;;kf/kD;<br>(+) |
|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 86. सूचना विभाग | 37.36 | -24.87 |
| 2006-2007 | 86. सूचना विभाग | 80.06 | -43.57 |
| 2007-2008 | 86. सूचना विभाग | 64.20 | -55.14 |
| 2008-2009 | 86. सूचना विभाग | 106.75 | -44.19 |
| 2009-2010 | 86. सूचना विभाग | 85.74 | -46.45 |
| 2005-2006 | 87.सैनिक कल्याण विभाग | 26.09 | -13.76 |
| 2006-2007 | 87.सैनिक कल्याण विभाग | 27.28 | -10.66 |
| 2007-2008 | 87.सैनिक कल्याण विभाग | 27.17 | -21.39 |
| 2008-2009 | 87.सैनिक कल्याण विभाग | 41.76 | -25.39 |
| 2009-2010 | 87.सैनिक कल्याण विभाग | 54.98 | -32.21 |

## 0;; dk vfrjd

वर्ष में व्यय का नियमित प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। अत्यधिक व्यय, विशेषतः वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है तथा इसका परिहार किया जाना चाहिये। फिर भी यह संज्ञान में आया है कि अधोलिखित प्रकरणों में मार्च 2010 के दौरान किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय के 38 प्रतिशत से अधिक था जो वित्तीय वर्ष के अन्त में बजट प्रावधान को प्रयुक्त किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

(करोड़ रुपयों में)

| Øe l0 | vunku ;k fofu;kx dh l[;k vkj uke | dy vkcVu | 2009-2010 dk nkjku dy 0;; | ekp 2010 dk nkjku 0;; | dy 0;; dh rqyuk e ekp e fd;k x;k 0;; dh ifr krrk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. आवास विभाग | 1219.31 | 1035.47 | 505.24 | 49 |
| 2 | 4. उद्योग विभाग (खाने और खनिज) | 24.26 | 23.30 | 8.76 | 38 |
| 3 | 7. उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 378.30 | 256.49 | 172.08 | 67 |
| 4 | 22. खेल | 64.57 | 56.75 | 25.22 | 44 |
| 5 | 24. गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | 550.93 | 581.46 | 347.08 | 60 |
| 6 | 37. नगर विकास विभाग | 1809.21 | 1380.57 | 599.32 | 43 |
| 7 | 38. नागरिक उड्डयन विभाग | 156.00 | 144.27 | 95.90 | 66 |
| 8 | 47. प्राविधिक शिक्षा विभाग | 548.88 | 420.25 | 158.05 | 38 |
| 9 | 81. समाज कल्याण विभाग ( जनजाति कल्याण ) | 50.58 | 31.05 | 15.89 | 51 |
| 10 | 88. संस्थागत वित्त विभाग ( निदेशालय ) | 34.23 | 19.33 | 15.61 | 81 |

## y[kk dk feyku

लेखों की शुद्धता और विश्वसनीयता, अन्य बातों के साथ साथ, विभागीय आंकड़ों का लेखाबद्ध आंकड़ों के साथ यथासमय मिलान पर निर्भर करता है।

वार्षिक लेखाओं के पूर्ण होने से पूर्व, विभागाध्यक्ष विभागीय लेखों के आंकड़ों का महालेखाकार द्वारा संकलित लेखों में अंकित आंकड़ों से मिलान करते हैं। लेखांकित आंकड़ों का मिलान हर माह करना होता है लेकिन इस राज्य में मुख्य नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर त्रैमासिक मिलान किया जाता है। वर्ष 2009-2010 में, व्यय के लेखों के 151 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों और प्राप्ति के लेखों के 43 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों में से व्यय के लेखों के 9 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों और प्राप्ति के लेखों के 6 मुख्य नियंत्रण

अधिकारियों ने मिलान कार्य पूर्ण नहीं किया जिनमें से मुख्यतः निम्न थे–

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/आयुक्त, समाज कल्याण, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ (व्यय)।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0, लखनऊ (व्यय) ।
3. निदेशक, कृषि, उ0 प्र0, लखनऊ (व्यय) ।
4. निबन्धक (लेखा), उच्च न्यायालय, उ0 प्र0, इलाहाबाद (व्यय) ।
5. सचिव, कानूनी सहायता एवं सलाहकार परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ (व्यय) ।
6. सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग, उ0 प्र0, लखनऊ (व्यय) ।
7. निदेशक, कृषि, उ0 प्र0, लखनऊ (प्राप्तियाँ) ।
8. सचिव, शहरी विकास, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ (प्राप्तियाँ) ।
9. निदेशक,कृषि विपणन, उ0 प्र0, लखनऊ (प्राप्तियाँ) ।
10. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/आयुक्त, समाज कल्याण, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ (प्राप्तियाँ) ।

## dk'kkxkjk }kjk iLrqr y[k

राज्य के मासिक लेखे निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा महालेखाकार को भेजे जाते हैं:

(i) कोषागार (73), (ii) वेतन एवं लेखा कार्यालय (1), (iii) लोक निर्माण खण्ड (685) तथा (iv) वन खण्ड (117) ।

वर्ष 2009-2010 के दौरान, कोषागारों द्वारा विलम्ब से लेखा भेजने की अवधि 1 से 5 दिनों के बीच रही। लोक निर्माण तथा वन खण्डों के सम्बन्ध में यह अवधि 1 से 30 दिनों के बीच रही। फिर भी, मासिक सिविल लेखे निर्धारित तिथि तक संकलित कर राज्य सरकार को भेज दिये गये थे।

# v/;k; -III

## ljdkjh jktLo vkj 0;; dh izofRr;k

2005-2006 से 2009-2010 (5 वर्ष की अवधि) के दौरान सरकारी राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय की प्रवृत्तियां नीचे दी गई हैं।

### jktLo izkfIr;k

(करोड़ रुपयों में)

| o'kZ | dj jktLo | djsrj jktLo | lgk;rk vuqnku ,oa va'knku | ldy jktLo izkfIr;k | ldy jkT; ?kjsyw mRikn * | ldy jkT; ?kjsyw mRikn ls ldy jktLo izkfIr;ksa dh izfr'krrk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 37061.03 | 2930.32 | 5357.80 | 45349.15 | 277068(क) | 16.37 |
| 2006-2007 | 46216.28 | 6532.64 | 7850.60 | 60599.52 | 312627(क) | 19.38 |
| 2007-2008 | 54247.06 | 5816.01 | 8609.40 | 68672.47 | 357557(ख) | 19.21 |
| 2008-2009 | 59564.69 | 6766.56 | 11499.48 | 77830.73 | 412151(ग) | 18.88 |
| 2009-2010 | 65674.27 | 13601.09 | 17145.59 | 96420.95 | 491302(घ) | 19.63 |

### jktLo 0;;

(करोड़ रुपयों में)

| o'kZ | jktLo 0;; | dqy 0;; (jktLo ,oa iwathxr)# | ldy jkT; ?kjsyw mRikn * | 2005-2006 ls 2009-2010 rd xr o"kZ dh rqyuk esa izfr'krrk of) (+) / deh (-) | | | ldy jkT; ?kjsyw mRikn ls ljdkjh 0;; dh izfr'krrk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | jktLo 0;; | dqy 0;; | ldy jkT; ?kjsyw mRikn | |
| 2005-2006 | 46617.14 | 55328.37 | 277068(क) | 4.50 | 10.08 | +11.34 | 19.97 |
| 2006-2007 | 55698.90 | 69683.03 | 312627(क) | 19.48 | 25.94 | +12.83 | 22.29 |
| 2007-2008 | 65223.21 | 82173.59 | 357557(ख) | 17.10 | 17.92 | +14.37 | 22.98 |
| 2008-2009 | 75968.89 | 98314.61 | 412151(ग) | 16.48 | 19.64 | +15.27 | 23.85 |
| 2009-2010 | 89373.61 | 114464.84 | 491302(घ) | 17.65 | 16.43 | +19.20 | 23.30 |

# कर्ज एवं लोक ऋण पर व्यय सम्मिलित नहीं है।

* राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद परिभाषित किया गया है।

(क) वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के ऑकड़े राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित कर दिये गये हैं।

(ख) वर्ष 2007-2008 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के ऑकड़े अस्थाई हैं।

(ग) वर्ष 2008-2009 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के ऑकड़े त्वरित हैं।

(घ) वर्ष 2009-2010 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के ऑकड़े अग्रिम हैं।

jktLo ikfIr ,o jktLo 0;; dh iofRr

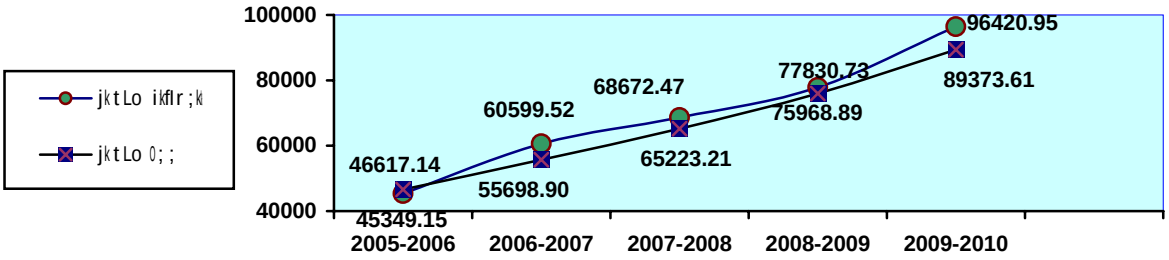




jktLo ikfIr;k ,o dy 0;; dh iofRr

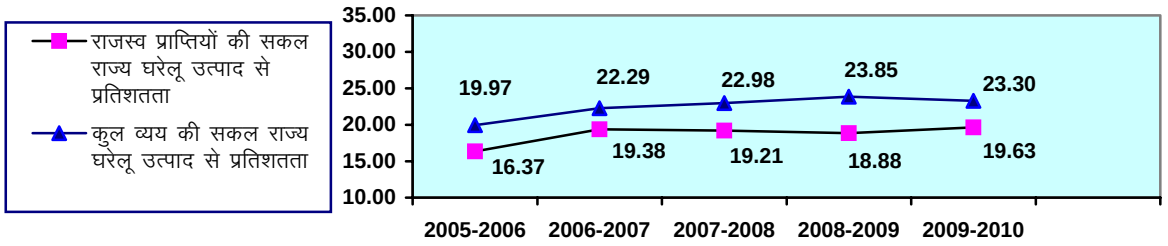




2005-2006 की तुलना में वर्ष 2009-2010 के दौरान सरकार के कुल व्यय में वृद्धि 59136.47 करोड़ रुपये (106.88%) हुई। निम्न सारिणी में राजस्व व्यय के अन्तर्गत मुख्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि को दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपयों में)

| 0;; dk {k= | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | xr o'k dh rqyuk e 2009-2010 e ifr kr of) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| व्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा | 11735.05 | 13348.85 | 13878.08 | 14538.85 | 16855.09 | 15.93 |
| पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें | 4018.23 | 4884.44 | 6159.05 | 6953.75 | 11106.85 | 59.72 |
| प्रशासनिक सेवायें | 3738.03 | 4296.78 | 4691.32 | 6091.04 | 9314.58 | 52.92 |
| कृषि एवं सम्बद्ध क्रिया कलाप | 1480.40 | 1848.72 | 2522.07 | 2917.39 | 2860.23 | (क) |
| ग्राम विकास | 2259.42 | 1974.24 | 2936.27 | 4507.79 | 3590.90 | (क) |
| ऊर्जा | 1401.05 | 1869.80 | 1914.11 | 1650.83 | 1896.45 | 14.88 |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 7.60 | 22.67 | 35.15 | 19.24 | 30.26 | 57.28 |

(क) गत वर्ष की तुलना में व्यय में कमी होने के कारण प्रतिशतता वृद्धि की गणना नहीं की जा सकी।

## I jdkjh y[kk

वर्ष का कुल व्यय (राजस्व और पूंजीगत) वर्ष की कुल प्राप्तियों (राजस्व और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों) के विरुद्ध निबलित किया जाता है और इससे आगणित अधिशेष/घाटा 'सरकारी लेखा' नामक एक अलग खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, पूर्व अवधि समायोजनाएं, विविध सरकारी लेखे, आदि से संबंधित निबल प्रभाव को भी खाते 'सरकारी लेखा' में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार, 'सरकारी लेखा' नामक खाता शासन के परिचालन के परिणाम स्वरुप संचित अधिशेष/घाटा को प्रदर्शित करता है। गत पॉच वर्षो से सम्बन्धित 'सरकारी लेखा' खाता का विवरण नीचे दर्शाया गया है।

(करोड़ रुपयों में)

| o'k | jktLo 'kh'k | | | iwathxr 'kh'k | | | vU; 'kh'k | o'k dk ?kkVk | o'k ds vUr rd lap;h ?kkVk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ikfIr;k | lfforj.k | vf/k'k"k(+)/ ?kkVk (-) | ikfIr;k | lfforj.k | ?kkVk | vf/k'k"k | | |
| 2005-2006 | 45349.15 | 46617.14 | - 1267.99 | - | 8711.23 | 8711.23 | - | 9979.22 | 131552.82 |
| 2006-2007 | 60599.52 | 55698.90 | + 4900.62 | - | 13984.13 | 13984.13 | - | 9083.51 | 140636.33 |
| 2007-2008 | 68672.47 | 65223.21 | + 3449.26 | - | 16950.38 | 16950.38 | - | 13501.12 | 154137.45 |
| 2008-2009 | 77830.73 | 75968.89 | + 1861.84 | - | 22345.72 | 22345.72 | - | 20483.88 | 174621.33 |
| 2009-2010 | 96420.95 | 89373.61 | + 7047.34 | - | 25091.23 | 25091.23 | - | 18043.89 | 192665.22 |

## ns;rk,a

राज्य सरकार की देयताएं 2005-2006 के 50657.25 करोड़ रुपये से 18539.33 करोड़ रुपये बढ़कर 2009-2010 के दौरान 69196.58 करोड़ रुपये हो गयी। लोक ऋण, जिसमें राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित है, 2005-2006 के 98210.53 करोड़ रुपये से 34313.27 करोड़ रुपये बढ़ कर वर्तमान वर्ष के अन्त में 132523.80 करोड़ रुपये हो गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को समय समय पर राज्य विधान मण्डल के द्वारा निर्धारित सीमाओं (यदि कोई हो), के अन्तर्गत राज्य सरकार की समेकित निधि की जमानत पर कर्ज लेने के लिए प्राधिकृत करता है।

### jkT; ljdkj ds ykd _.k vkj dqy ns;rkvka ds 0;kjs fuEuor gSA

(करोड़ रुपयों में)

| Ok'k | vkarfjd _.k | dsUnh; ljdkj ls dtZ rFkk vfxze | dqy ykd _.k | vYi cpr | Hkfo'; fuf/k | vU; nkf;Ro | dqy (*) ns;rk,a | ldy jkT; ?kjsyw mRikn | ldy jkT; ?kjsyw mRikn ls dqy ns;rkvksa dh ifr'krrk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 74451.96 | 23758.57 | 98210.53 | 1311.65($) | 15918.77 | 33426.83($) | 50657.25 | 277068(क) | 53.73 |
| 2006-2007 | 82046.26 | 21963.69 | 104009.95 | 1380.59($) | 18582.52 | 38182.91($) | 58146.02 | 312627(क) | 51.87 |
| 2007-2008 | 86577.29 | 21142.49 | 107719.78 | 1442.60($) | 20971.86 | 44113.56($) | 66528.02 | 357557(ख) | 48.73 |
| 2008-2009 | 97339.29 | 20364.03 | 117703.32 | 1525.69($) | 23833.22 | 44348.47($) | 69707.38 | 412151(ग) | 45.47 |
| 2009-2010 | 113076.97 | 19446.83 | 132523.80 | 1663.90($) | 27565.11 | 39967.57($) | 69196.58 | 491302(घ) | 41.06 |

(*) अल्प बचत, भविष्य निधि, बिना ब्याज वाले दायित्वों जैसे स्थानीय निधियों की जमा, अन्य उद्दिष्ट निधियां आदि।
($) इसमें 8-11-2000 तक के उत्तर प्रदेश के अविभाजित अवशेष सम्मिलित हैं।
(क) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के ऑकड़े राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित कर दिये गये हैं।
(ख) वर्ष 2007–08 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़ें अस्थाई हैं।
(ग) वर्ष 2008-09 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के ऑकड़े त्वरित हैं।
(घ) वर्ष 2009-10 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के ऑकड़े अग्रिम हैं।

jkT; ljdkj d dy nkf;Ro dk #>ku

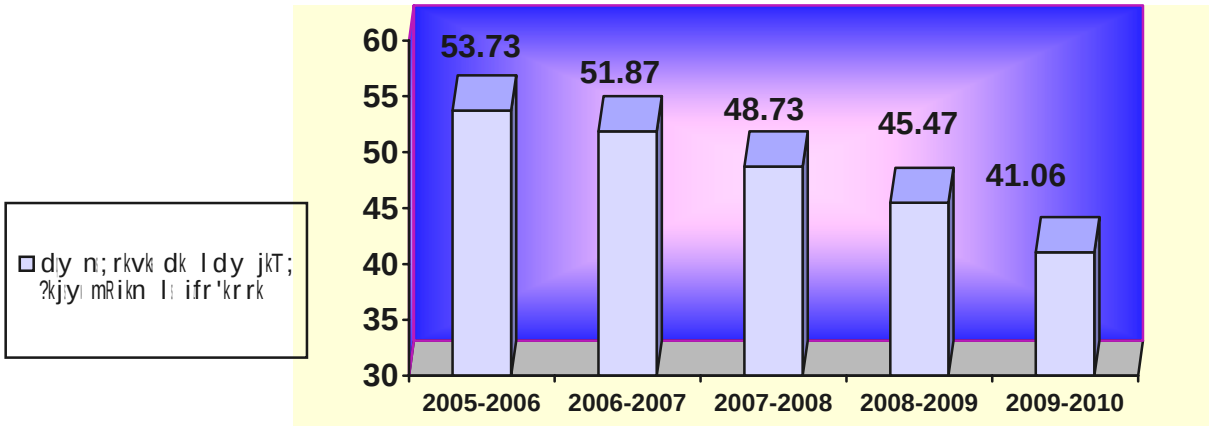


## jkT; Hkfo';  fuf/k

राज्य भविष्य निधि से लेन-देन के व्यौरे निम्न सारिणी में दिखाए गये हैं।

(करोड़ रुपयों में)

| o"k | vkfn'k'k | ikfIr;k | vnk;fx;k | o'k d fy, 'k) vfHkof) | vUr'k'k | vYi cpr vkj Hkfo"; fuf/k d k'k ij iHkkfjr C;kt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 14034.45 | 3463.36 | 1579.04 | 1884.32 | 15918.77 | 837.47 |
| 2006-2007 | 15918.77 | 4705.51 | 2041.76 | 2663.75 | 18582.52 | 1521.23 |
| 2007-2008 | 18582.52 | 5152.92 | 2763.58 | 2389.34 | 20971.86 | 1506.99 |
| 2008-2009 | 20971.86 | 6327.55 | 3466.19 | 2861.36 | 23833.22 | 1710.69 |
| 2009-2010 | 23833.22 | 7889.35 | 4157.46 | 3731.89 | 27565.11 | 1967.91 |

## iR;kHkfr ;k

सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि के द्वारा लिये गये कर्जों एवं पूंजी के भुगतान और उनके ऊपर ब्याज के भुगतान के संबंध में सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति को नीचे दिखाया गया है।

(करोड़ रुपयों में)

| o'k d vUr e | iR;kHkfr dh /kujkf k (doy ey /ku) | cdk;k jkf k | |
|---|---|---|---|
| | | ey/ku | C;kt |
| 2005-2006 | 15072.96 | 8433.44 | शून्य |
| 2006-2007 | 12234.86 | 11055.58 | शून्य |
| 2007-2008 | 18144.16 | 12735.83 | शून्य |
| 2008-2009 | 27891.55 | 16084.00 | शून्य |
| 2009-2010 | 29311.36 | 19592.26 | 445.88 |

## vFkkik; vfxe

राज्य सरकार आर्थिक परिसमापन स्थिति को बचाए एवं बनाये रखने के क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लेती है और तत्पश्चात, जब भारतीय रिजर्व बैंक के पास उनके लेखे में शेष अनुबंध के आधार पर निश्चित न्यूनतम रोकड़ शेष से कम हो जाता है तब ओवरड्राफ्ट किये जाते हैं। राज्य सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक में न्यूनतम रोकड़ शेष 471 लाख रुपये बनाये रखने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत अधिक बार आहरण करना या अधिक राशि प्राप्त करना, राज्य सरकार के रोकड़ शेष के प्रतिकूल स्थिति पर और अधिक प्रभाव डालता है।

| | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) दिनों की संख्या जिसमें न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखा गया | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
| (क) बिना अग्रिम प्राप्त किये | 335 | शून्य | शून्य | शून्य | 356 |
| (ख) अर्थोपाय अग्रिम लेकर | 30 | शून्य | शून्य | शून्य | 9 |
| (ii) दिनों की संख्या जिसमें ओवरड्राफ्ट लिया गया | 11 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

## lkekU; jkdM 'k'k

भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (रोकड़ अन्तशेष में सम्मिलित) के अन्तर्गत राज्य सरकार के लेखे में दिखाया गया सामान्य रोकड़ शेष 184.04 करोड़ रुपये (नामे) (इसमें 8-11-2000 के अविभाजित शेष सम्मिलित हैं) के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अन्तशेष 56.93 करोड़ रुपये (जमा) था। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अन्तशेष 56.93 करोड़ रुपये (जमा) और इस कार्यालय के लेखे में प्रदर्शित सामान्य रोकड़ शेष 184.04 करोड़ रुपये (नामे) में 127.11 करोड़ रुपये का अन्तर था, जिसका समाधान किया जा रहा है।

31 मार्च 2010 को रोकड़ शेष निवेश लेखा* में विद्यमान निवेश 3194.59 करोड़ रुपये था।

31 मार्च 2010 को अन्य रोकड़ शेष और निवेश के अन्तर्गत 57.74 करोड़ रुपये था जिसमें विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ (12.13 करोड़ रुपये), विभागीय अधिकारियों के पास स्थाई अग्रिम (0.41 करोड़ रुपये) और उद्दिष्ट निधियों का निवेश (45.20 करोड़ रुपये) सम्मिलित था।

.....

(*) रोकड़ शेष के अस्थाई निवेशों, जैसे अल्पावधि कर्जों अथवा अन्य शासकीय प्रतिभूतियों से जुड़े लेनदेनों को रोकड़ शेष निवेश लेखा में अभिलिखित किया जाता है।

वर्ष 2009-2010 के प्रारम्भ का रोकड़ शेष 94.96 करोड़ रुपये वर्ष की समाप्ति पर बढकर 198.23 करोड़ रुपये हो गया। निधियों के स्रोतों एवं उपयोगों का विवरण नीचे दिया गया है।

<table>
<tr><th colspan="3">Lkkr</th><th colspan="3">mi;kx</th></tr>
<tr><th>Øe l0</th><th>en</th><th>jkf'k (djkM+ #i;k e)</th><th>Øe l0</th><th>en</th><th>jkf'k (djkM+ #i;k e)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>vkfn jkdM+ 'k'k</td><td>94.96</td><td>1</td><td>jktLo 0;;<br>vk;kstuRrj 73672.43<br>vk;kstukxr 15701.18</td><td>89373.61</td></tr>
<tr><td>2</td><td>l?k djk e jkT; dk vi k</td><td>31796.67</td><td>2</td><td>iwthxr 0;;<br>vk;kstuRrj 5866.75<br>vk;kstukxr 19224.48</td><td>25091.23</td></tr>
<tr><td>3</td><td>jkT; }kjk viu jktLo dk lxg</td><td>47478.69</td><td>3</td><td>dtl rFkk vfxe dh vnk;fx;k<br>dUnz ljdkj dk 1199.86<br>jkT; ljdkj dk vkrfjd _.k 6468.73</td><td>7668.59</td></tr>
<tr><td>4</td><td>_.k d vfrfjDr dUnh; vuqnku@lgk;rk</td><td>17145.59</td><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">fn;s x;s dtl rFkk m/kkj</td><td rowspan="2">941.85</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fofo/k ikfIr;k</td><td>-</td></tr>
<tr><td>6</td><td>ykd _.k (dUnh; dtl dk NkM+dj) ls ikfIr;k ,o vYi cpr]tek rFkk vfxe ls "k) ikfIr;k</td><td>26169.76</td><td>5</td><td>vkdfLedrk fuf/k ls 'k) vi knku</td><td>-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>dUnh; dtl ls ikfIr;k</td><td>282.66</td><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">mpUr ,o ik'k.k 'k'k d lek;ktu vkj vkjf{kr fuf/k e of)@deh dk 'k) iHkko</td><td rowspan="3">70.72</td></tr>
<tr><td>8</td><td>dtnkjk ls olfy;k</td><td>293.08</td></tr>
<tr><td>9</td><td>vkdfLedrk fuf/k ls 'k) vi knku</td><td>82.82</td></tr>
<tr><td>10</td><td>mpUr ,o ik'k.k 'k'k d lek;ktu vkj vkjf{kr fuf/k e of)@deh dk 'k) iHkko</td><td>-</td><td>7</td><td>vUr jkdM+ 'k'k</td><td>198.23</td></tr>
<tr><td></td><td>;kx</td><td>123344.23</td><td></td><td>;kx</td><td>123344.23</td></tr>
</table>

## vkdfLedrk fuf/k

राज्य आकस्मिकता निधि आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई है। इस निधि की सीमा 600 करोड़ रुपये है। निम्न विवरण वर्ष के दौरान निधि के प्रयोग को प्रदर्शित करता है।

| | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| आकस्मिकता निधि से कुल आहरणों की संख्या | 45 | 4 | शून्य | 815 | 5 |
| आकस्मिकता निधि से कुल आहरण (करोड़ रुपयों में) | 299.83 (क) | 11.70 (ख) | शून्य | 433.21 (ग) | 182.90 (घ) |
| आकस्मिकता निधि से आहरण, बजट प्रावधान से प्रतिशत के रुप में | 0.357 | 0.012 | शून्य | 0.324 | 0.118 |

(क) वर्ष के दौरान 299.83 करोड़ रुपये में से 278.82 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति हो जाने के फलस्वरुप वर्ष के अंत में 21.01 करोड़ रुपये अनापूरित रह गया।

(ख) वर्ष के दौरान 11.70 करोड़ रुपये में से 2.13 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति हो जाने के फलस्वरुप वर्ष के अंत में 9.57 करोड़ रुपये अनापूरित रह गया।

(ग) वर्ष के दौरान 433.21 करोड़ रुपये में से 433.21 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति हो जाने के फलस्वरुप वर्ष के अंत में कोई धनराशि अनापूरित नहीं रह गई।

(घ) वर्ष के दौरान 182.90 करोड़ रुपये में से 182.90 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति हो जाने के फलस्वरुप वर्ष के अंत में कोई धनराशि अनापूरित नहीं रह गई।

# उत्तर प्रदेश सरकार

## लेखा एक दृष्टि में

## 2009-2010

## प्रधान महालेखाकार
## (लेखा एवं हकदारी)
## उत्तर प्रदेश

# vkeq[k

यह हमारे वार्षिक प्रकाशन 'लेखे एक दृष्टि में' का द्वादश संस्करण है।

राज्य के वार्षिक लेखे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के साथ पठित नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत परीक्षण करके राज्य के विधानमण्डल के पटल पर प्रस्तुत करने के लिये तैयार किये जाते हैं। वार्षिक लेखों में (क) वित्त लेखे और (ख) विनियोग लेखे सम्मिलित हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के अन्तर्गत लेखों की संक्षिप्त विवरणियां हैं। विनियोग लेखे राज्य विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत प्रावधानों के विरुद्ध अनुदानवार व्ययों को अभिलिखित करते हैं एवं प्रदत्त निधियों और वास्तविक व्ययों के मध्य भिन्नता की ब्याख्या प्रस्तुत करते हैं। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

'लेखे एक दृष्टि में' वित्त लेखे और विनियोग लेखे में प्रतिबिम्बित सरकारी गतिविधियों पर एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसमें सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों और ग्राफों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

हमें आपके ऐसे सुझावों की अपेक्षा है जो प्रकाशन के सुधार में सहायक हो सके।

(माला सिन्हा)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम

उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद

दिनांकः 03.03.2011